केन्द्रीय विद्यालय धर्मपुर

कलस्वाई रोड, जिला मण्डी (हि.प्र.)–175040

सत्र 2025–26 में कक्षा 2 से कक्षा 8 तक प्रवेश संबंधी सूचना

1. शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए केन्द्रीय विद्यालय धर्मपुर ज़िला मण्डी में रिक्त स्थान (Vacancy) होने की स्थिति में कक्षा 2 से कक्षा 8 तक प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दिनांक 02.04.2025 (प्रातः 10 बजे) से 11.04.2025 सांय 3 बजे तक होगा। इच्छुक अभिभावक अपना आधार व अपने बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र जमा कर निःशुल्क पंजीकरण पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा निम्नलिखित विवरण का अनुपालन कर अपने बच्चे के प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकते हैं।

क्र.	कक्षा	आयु सीमा (as on 31st March, 2025)
1.	दूसरी (II)	7 से 9 साल तक
2.	तीसरी (III)	8 से 10 साल तक
3.	चौथी (IV)	9 से 11 साल तक
4.	पाँचवीं (V)	9 से 11 साल तक
5.	छठी (VI)	10 से 12 साल तक
6.	सातवीं (VII)	11 से 13 साल तक
7.	आठवीं (VIII)	12 से 14 साल तक

2. प्रवेश हेतु पंजीकरण फॉर्म केन्द्रीय विद्यालय से या विद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त होंगे जिसे संलग्न दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 11.04.2025 को सांय 3 बजे तक प्रवेश विभाग में जमा करवाने होंगे। अन्यथा कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. पंजीकरण हेतु फॉर्म भरते समय भरे गए विवरण के अनुरूप प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा सम्बन्धित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. केन्द्र सरकार के कर्मचारी स्थानांतरण का लाभ लेने हेतु पंजीकरण–पत्र पर दिए हुए निर्धारित स्थान पर स्थानांतरण का विवरण भरें और अपने सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाएं।

पंजीकरण हेतु फॉर्म जमा करते समय आवश्यक दस्तावेज–

(गलत सूचना भरने से किसी भी स्तर पर प्रवेश रद्द (Cancel) कर दिया जावेगा)

1. पासपोर्ट साइज़ फोटो
2. जन्म प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ।
3. आधार कार्ड बच्चे का और माता–पिता में से किसी एक का।
4. जाति प्रमाण–पत्र।
5. निवास/आवास प्रमाण–पत्र।
6. OBC (NCL) के लिए जाति के साथ आय–प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित छाया–प्रति केन्द्र सरकार द्वारा जारी।
7. दिव्यांग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
8. सेवा प्रमाण–पत्र और वेतन भुगतान पर्ची (DDO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
9. रक्षा संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में कमान अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मुहर होना चाहिए।
10. केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व मुहर सहित सेवा प्रमाण–पत्र।
11. विद्यालय से आवास की दूरी का घोषणा पत्र।
12. रक्त समूह रिपोर्ट।

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते है।

प्राचार्य